बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या–15/आरोप (मुजफ्फरपुर) 02–203/2026– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, मुजफ्फरपुर के प्रेस विज्ञप्ति दिनांक–09.10.2026 द्वारा अहियापुर थाना कांड सं0–1375/2026 में वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित विशेष जाँच दल (S.I.T) टीम द्वारा जाँच व अनुसंधान में वादी श्री विजय कुमार का 70 डीसमिल खतियानी एवं पुस्तैनी जमीन का फर्जी केवाला कराकर श्री कृष्णनंदन पासवान, थान सदर जिला–वैशाली द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के सहारे दाखिल खारिज कराये जाने में श्री करूण करण, राजस्व अधिकारी, मुशहरी, मुजफ्फरपुर की भी भूमिका अत्यंत संदिग्ध पाये जाने एवं उक्त आपराधिक मामले में अभियुक्तों के साथ आपराधिक षड्यंत्र में तकनीकी एवं दस्तावेज साक्ष्य पाये जाने के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट के आधार पर अभियुक्त श्री करूण करण, राजस्व अधिकारी, मुशहरी, मुजफ्फरपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने संबंधी सूचना प्राप्त है।

2. उपर्युक्त आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।

3. अतएव **श्री करूण करण, राजस्व अधिकारी, मुशहरी, मुजफ्फरपुर** को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9(1) की कंडिका– (क) एवं (ग) एवं नियम–9(2) के प्रावधानों के तहत **गिरफ्तार किये जाने की तिथि–09.10.2026 के प्रभाव से निलंबित** किया जाता है।

4. निलम्बन अवधि के दौरान श्री करण का **मुख्यालय–प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर** निर्धारित किया जाता है, जहाँ हिरासत से मुक्त होने के उपरान्त वे अपना योगदान समर्पित करेंगे तथा नियमित रूप से उपस्थिति भी दर्ज करेंगे।

5. निलम्बन अवधि में श्री करण को नियमानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–10 के अन्तर्गत जीवन–निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(अमित कुमार पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (मुजफ्फरपुर) 02–203/2026–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

मेल/ संलग्नित

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर/आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति में**)/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि श्री करूण करण, राजस्व अधिकारी, मुशहरी, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–
(अमित कुमार पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (मुजफ्फरपुर) 02–203/2026–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि :– श्री करूण करण, राजस्व अधिकारी, मुशहरी, मुजफ्फरपुर **(स्थायी पता– श्री कपिल देव सिंह, ग्राम+पो0–बांके बाजार, नियर पी0एन0बी0 बैंक, थाना–बांके बाजार, जिला–गया, पिन–824217)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अमित कुमार पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (मुजफ्फरपुर) 02–203/2026–2030(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–29/10/26

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/10/26
(अमित कुमार पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव।